

कार्यालय म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल

कृमांक/खाद प्रशासन/1343/2018.19

भोपाल, दिनांक 3.5.2018

प्रसारण कमाक खरीफ सीजन 2018 एवं वर्ष 2018.19 { 6 }

07

प्रति,

1. जिला विपणन अधिकारी,
म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, समस्त
2. प्रबंध संचालक/महाप्रबंधक/प्रबंधक,
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, समस्त

विषय:- खरीफ सीजन 2018 एवं वर्ष 2018.19 में विभिन्न उर्वरकों की नगद विक्रय दरें ।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र कमांक/खाद प्रशा0/पत्र कमांक /7645/ 4.12.2018, 7644/ दिनांक 4.12.2018/ 6472 दिनांक 28.10.2017 ।

खरीफ सीजन 2018 एवं वर्ष 2018.19 में विभिन्न उर्वरकों की नगद विक्रय दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है। :-

क 0	नाम उर्वरक	प्रदाय दर (कर योग्य)	जीएसटी		कृषकों के लिए विक्रय दर	
			सीजीएसटी 2.5@%	एसजीएसटी 2.5@%	प्रतिटन	प्रतिबोरी
1	2	3	4	5	6	7
1	नीमकोटेड यूरिया					
	45 किलो की भर्ती	5640.21	141.01	141.01	5922.22	266.50
	50 किलो की भर्ती	5619.05	140.48	140.48	5900.00	295.00
2	डीएपी	22857.14	571.43	571.43	24000.00	1200.00
3	एनपीके 12.32.16	21428.00	534.70	534.70	22499.40	1124.97
6	एनपीके 20.20.0.13	17100.00	427.50	427.50	17955.00	897.95
7	एनपीके 20.20.0	16500.00	412.50	412.50	17325.00	866.25
	एनपीके 14.35.14	23619.05	590.48	590.48	24800.00	1240.00
8	एमओपी	11686.00	292.15	292.15	12270.30	613.52
9	अमोनियमसल्फेट	11000.00	275.00	275.00	11550.00	577.50
समस्त प्रदायकों के लिए सिंगल सुपरफास्फेट की विक्रय दर						
1	सिंगल सुपरफास्फेट (पाउडर)	4950.00	123.75	123.75	5197.50	259.88
2	सिंगल सुपरफास्फेट (दानेदार)	5500.00	137.50	137.50	5775.00	288.75
3	बोरोनेटेड सिंगलसुपर फास्फेट (पाउडर)	5375.00	134.38	134.38	5643.75	282.19
4	बोरोनेटेड सिंगलसुपर फास्फेट(दानेदार)	5975.00	149.38	149.38	6273.75	313.69


अधिश फास्फेट के लिए सिंगल सुपरफास्फेट की विक्रय दर						
1	सिंगल सुपरफास्फेट (पाउडर)	4825.00	120.63	120.63	5066.25	253.31
2	सिंगल सुपरफास्फेट (दानेदार)	5375.00	134.38	134.38	5643.75	282.19
3	बोरानेटेड सिंगलसुपर फास्फेट (पाउडर)	5250.00	131.25	131.25	5512.50	275.63
4	बोरानेटेड सिंगलसुपर फास्फेट(दानेदार)	5850.00	146.25	146.25	6142.50	307.13
सूक्ष्म पोषक तत्व						
	जिक सल्फेट 21 प्रतिशत					
	25 किलो	28475.20	1708.51	1708.51	31892.22	797.31
	10 किलो	28475.20	1708.51	1708.51	31892.22	318.92
	5 किलो	28475.20	1708.51	1708.51	31892.22	159.46
	जिक सल्फेट 33 प्रतिशत					
	25 किलो	38332.00	2299.92	2299.92	42931.84	1073.30
	10 किलो	38332.00	2299.92	2299.92	42931.84	429.32
	5 किलो	38332.00	2299.92	2299.92	42931.84	214.66
	बारेक्स					
	1 किलो	55550.73	3333.04	3333.04	62216.82	62.22
	2 किलो	55550.73	3333.04	3333.04	62216.82	124.43
	5 किलो	54583.67	3275.02	3275.02	61133.71	305.67
	बेन्टोनाइट सल्फर					
	5 किलो	24258.68	1455.52	1455.52	27169.72	135.85
	फास्फो जिप्सम					
	50 किलो	2626.4	236.38	236.38	3099.16	154.96
मेसर्स इफको की सूक्ष्म पोषक तत्वों की प्रदाय दर						
	जिक सल्फेट 33 प्रतिशत 5 किलो भर्ती	52119.77	3127.19	3127.19	58374.15	291.87
	बेन्टोनाइट 5 किलो भर्ती	33403.60	2004.22	2004.22	37412.04	187.06
	बारेक्स 1 किलो की भर्ती	67104.19	4026.25	4026.25	75156.69	75.16
रामस्त प्रदायको हेतु जलविलेय उर्वरक की प्रदाय दर						
1	एनपीके 19:19:19 1 किलो भर्ती	85000.00	2125.00	2125.00	89250.00	89.25
2	एनपीके 18:18:18 1 किलो भर्ती	77619.04	1940.48	1940.48	81499.99	81.50
	एनपीके 18:18:18 5 किलो भर्ती	77047.62	1926.19	1926.19	80900.00	404.50
3	पोटेशियम सल्फेट 0.50 1 किलो भर्ती	70000.00	1750.00	1750.00	73500.00	73.50
	पोटेशियम सल्फेट 0.50 5 किलो भर्ती	65523.80	1638.10	1638.10	68800.00	344.00
4	यूरिया फास्फेट 17:44 1 किलो भर्ती	72380.96	1809.52	1809.52	76000.01	76.00
	यूरिया फास्फेट 17:44 5 किलो भर्ती	69428.58	1735.71	1735.71	72900.01	364.50

मेसर्स इफको हेतु जलविलेय उर्वरक की प्रदाय दर						
एनपीके 18.18.18						
1 किलो	67619.04	1690.48	1690.48	71000.00	71.00	
5 किलो	67047.62	1676.19	1676.19	70400.00	352.00	
यूरिया फास्फेट						
1 किलो	62380.96	1559.52	1559.52	65500.00	65.50	
5 किलो	59428.58	1485.71	1485.71	62400.00	312.00	
पोटेशियम						
1 किलो	60000.00	1500.00	1500.00	63000.00	63.00	
5 किलो	55523.80	1388.10	1388.10	58300.00	291.50	
मेसर्स जीएसएफसी के जल विलेय उत्पादों की प्रदाय दर						
एनपीके 13.00.45						
1 किलो	82000.00	2050.00	2050.00	86100.00	86.10	
25 किलो	80000.00	2000.00	2000.00	84000.00	2100.00	
एनपीके 12.61.00						
1 किलो	78000.00	1950.00	1950.00	81900.00	81.90	
25 किलो	76000.00	1900.00	1900.00	79800.00	1995.00	
एनपीके 00.52.34						
1 किलो	106000.00	2650.00	2650.00	111300.00	111.30	
5 किलो	104000.00	2600.00	2600.00	109200.00	2730.00	
फॉस्फेटिकरिच आर्गेनिक मैन्योर (रिच), वर्मी कम्पोस्ट, सिटी कम्पोस्ट, आर्गेनिक मैन्योर उर्वरकों के विक्रय दर						
प्रोम.	13681.00	342.03	342.03	14365.06	718.25	
आर्गेनिक मैन्योग	6409.00	160.23	160.23	6729.46	336.47	
वर्मी कम्पोस्ट	6188.00	154.70	154.70	6497.40	324.87	
सिटी कम्पोस्ट	2873.00	71.83	71.83	3016.656	150.83	

- उक्त दरों में भारत सरकार द्वारा लागू की गई सी.जी.एस.टी. एवं राज्य शासन द्वारा लागू एस.जी.एस.टी. सम्मिलित है।
- जिन समितियों को दिनांक 01.07.2017 से लागू होने के उपरांत पंजीयन लेना अनिवार्य है, उन समितियों को उक्त अधिनियम में पंजीयन लेकर कर मासिक आधार पर कर भुगतान करने का वैधानिक दायित्व होगा।
- समितियों द्वारा कृषकों को विक्रय किये जाने वाले उर्वरकों पर वसूल किये गये जी.एस.टी.की राशि में से कर पर भुगतान किये गये जी.एस.टी. की राशि में से घटाकर शेष कर का भुगतान समितियों द्वारा शासन को करने का वैधानिक दायित्व समितियों का होगा।
- जिला विपणन अधिकारी मासिक कर का रिटर्न निर्धारित समय में लेखा शाखा मुख्यालय भोपाल को प्रस्तुत करेंगे।
- उक्त दरें दिनांक 01.4.2018 से प्रभावशील होंगी तथा आगामी सूचना तक प्रभावशील रहेंगी।

7. जिला सहकारी बैंक समितियों को निर्देशित करेंगे, कि समितियाँ जी.एस.टी. कर अधिनियम के अनुसार जी.एस.टी. की वसूल की गई राशि कोषालय में समय पर जमा कर निर्धारित प्रारूप में अपनी रिटर्न जी.एस.टी. विभाग को जमा करेगी तथा कर का निर्धारण करायेंगी। यह दायित्व जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों का होगा।
8. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा समितियों को जारी किये जाने वाले रिलीज आर्डर पर जी.एस.टी. की दर एवं कर की राशि दर्शित की जाना आवश्यक है। अतः रिलीज आर्डर पर दरों के चार्ट कालम 3.4 और 5 में दर्शित दर अनुसार खाद का मूल्य एवं जीएसटी कर की राशि को पृथक्-पृथक् दर्शाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा समिति को खरीदी पर भुगतान किये गये कर की राशि का रिबेट प्राप्त नहीं होगा और पूर्ण टैक्स की राशि का दायित्व समिति का होगा।
9. भारत सरकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय उर्वरक विभाग द्वारा मोबाईल एफएमएस योजना के क्रियान्वयन हेतु रु 50.00 प्रतिटन इन्सेटिव के रूप में रिटेलर को देने के लिए दरों में वृद्धि करने के निर्देश दिये गये हैं। रिटेलर को यह इन्सेटिव राशि, प्रदायकवार प्राप्त की गई मात्रा की पावती की पुष्टि एवं स्कंध की रिपोर्ट मोबाईल एफएमएस के अंतर्गत किये जाने पर संबंधित प्रदायक द्वारा पृथक् से विपणन संघ के माध्यम से दी जावेगी। यह राशि भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्तमान में प्रदायकों द्वारा भुगतान नहीं की जा रही है। भविष्य में भारत शासन के निर्देशानुसार भुगतान की जावेगी।

उक्त संशोधित दरों एवं निर्देश से संबंधितों को अवगत कराये।


महाप्रबंधक {कृ०सा०}

म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या०,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 07/5/18

क्रमांक/खाद प्रशासन 1343/2018
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव एवं पदेन कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
4. सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ मध्यप्रदेश भोपाल ।
5. सभागायुक्त, { समस्त मध्यप्रदेश }
6. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
7. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल ।
8. प्रबंध संचालक, म०प्र० राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्या० भोपाल ।
9. प्रबंध संचालक, म०प्र० राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल ।
10. प्रबंध संचालक, म०प्र० राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल ।
11. कलेक्टर { समस्त मध्यप्रदेश }
12. संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग { समस्त मध्यप्रदेश }
13. संयुक्त आयुक्त, सहकारी समितियाँ { समस्त मध्यप्रदेश }
14. मण्डल प्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित { समस्त }
15. उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग { समस्त मध्यप्रदेश }
16. उप/सहायक आयुक्त, सहकारी समितियाँ { समस्त मध्यप्रदेश }
17. प्राचार्य सहकारी प्रबंध संस्थान, त्रिलंगा रोड, भोपाल ।
18. प्राचार्य, सहकारी कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल ।
19. मुख्यलेखाधिकारी सह वित्तीय नियंत्रक, मुख्यालय भोपाल ।
20. उप-मुख्यलेखाधिकारी { कृ०सा० } / वरिष्ठ लेखाधिकारी { खाद } मुख्यालय भोपाल ।


महाप्रबंधक {कृ०सा०}

म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या०,
भोपाल